

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा

क्रमांक :- 346-347

दिनांक:- 12-1-25

:: विज्ञप्ति ::

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा के नियन्त्रणाधीन कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर निम्नानुसार **सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति पर** आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं -

क्र. सं.	प्राधिकरण/समिति का नाम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा	04
2	तालुका विधिक सेवा समिति, कुशलगढ़	01
3	तालुका विधिक सेवा समिति, घाटोल	01
4	तालुका विधिक सेवा समिति, गढ़ी	01
5	तालुका विधिक सेवा समिति, बागीदौरा	01
योग		08

राजस्थान सरकार, विधि विभाग की आज्ञा संख्या पं.08 (1)विधि-2/विरसं(64)/2015 पार्ट-1। दिनांक 22.01.2025 एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ-7(136)रालसा/संस्था/संविदा सेवा-वाहन/2025/65 दि. 04.02.2025 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 01.03.2025 से 31.03.2026 तक अथवा नियमित भर्ती होने तक जो भी पूर्व में हो) के लिए कार्मिक विभाग के परिपत्र तथा संविदा सेवाओं के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के दिशा-निर्देशों की पालना की सुनिश्चितता के अधीन कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार सेवानिवृत्त कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर संविदा पर सेवाएं ली जानी है।

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के अनुसार देय होगा। आवेदक को पुनः नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का विकल्प वरीयता में देना होगा।

सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो, की सेवाएं दिनांक 31.03.2026 तक की अवधि के लिये या नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, की कालावधि तक सेवाएं देने के इच्छुक कार्मिक विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय आवश्यक सभी दस्तावेज के आवेदन कर सकेंगे। उक्त संवर्गों की सेवाएं राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्याधीन प्रभावी रहेगी।


इच्छुक सेवानिवृत्त कार्मिक को नियुक्ति के समय सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

क्रमशः

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद पर उक्त शर्तों के अध्यक्षीन सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी दिनांक 20.02.2025 को सायं 04:30 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/banswara> से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने के पश्चात् वे व्यक्तिशः प्राधिकरण के कार्यालय पर सम्पर्क नहीं करें तथा आवश्यक निर्देशों बाबत् जिला न्यायालय, बांसवाड़ा की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे।




सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक :- 346-347

दिनांक :- 12-2-25

1. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/समस्त न्यायालय, जिला बांसवाड़ा/जिला कलक्टर कार्यालय/नगर परिषद बांसवाड़ा।
2. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय बांसवाड़ा को वास्ते जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।



सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बांसवाड़ा (राज.)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए)

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. पता मय मोबाईल नम्बर :
5. आयु :
6. अर्हताएं :
7. मूल विभाग का नाम :
8. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद :
9. अनुभव :
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन :
- (रनिंग पे बैण्ड वेतन+ग्रेड पे)
(एलपीसी संलग्न करें)
11. मूल पेंशन राशि :
- (पीपीओ संलग्न करें)
12. धारित पद का वेतनमान :
- (सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र :
- (संलग्नानुसार)
14. पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का नाम वरीयता अनुसार
(1) (2)
15. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है :

सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में सविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :-

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति पुत्र/पत्नी श्री ..
..... जो सेवानिवृत्ति से पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर विभाग में
कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किया
जाता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान
श्री/श्रीमति..... की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और
सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति वचनबंध के विचार के लिए उसकी
अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमति
..... रू. मासिक मूल वेतन आहरित कर रहा था/कर रही थी
और कि श्री/श्रीमति अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त
हो गया है/हो गयी है और श्री/श्रीमति के विरुद्ध कोई
विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध
ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं
होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय मोहर